

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
GM(Optg)
Hajipur

NO.ECR/Optg.Safety/Fog Precautions/23/505

Dated: 27.10.2020

Divisional Railway Manager

East Central Railway

DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ

Sub:- Instructions on Fog preparedness.

In view of ensuing Foggy weather, Divisions are hereby advised to comply with the following instructions before onset Foggy weather:-

1. **Detonators:** Adequate availability of detonators must be ensured.
2. **Lime Marking:** Ensure lime marking across the track at Warning/Sighting board (or at Distant Signals in case of Double Distant.
3. **Painting:** Ensure W/L boards; Warning/Sighting boards; Fog signal posts; Road sign/ Lifting Barriers etc. of busy LC gates have been painted or provided with Yellow/Black luminous indication strips.
4. **SIGMA (Σ) Board:** Ensure placement of Sigma (Σ) strip for identification of Stop signal.
[Ref: SR. 3.61(B) (vi)]
5. **PME/Refresher:** LPs/ALPs and Guards due for PME/Ref. between 15th December and 31st January should be completed by 15th December.
[Ref: SR. 3.61(C) (i)]
6. **Training to Crew:** Two days training regarding working of trains during foggy weather should be imparted to each and every crew. This process must be completed by 1st December positively.
[Ref: SR. 3.61(C) (iv)]
7. **Assurance of Fog Signaller:** SMs after satisfying himself that detailed for working as Fog signaller are fully acquainted with and understand rules for placing detonators during foggy weather, shall obtain their signature or thumb impression in Part-I of Fog signal Register.
8. **Fog Signal Register:** The SM shall ensure that the information to be maintained in Fog signal Register is kept up to date and is accurate in all respects.

To certify compliance of the above instructions in the section, all sectional TIs, Lis, SSE(P.way), SSE(Signal) & Safety counsellors be deputed and a report of compliance may please be forwarded to the office of the undersigned for onward appraisal.

Sd/-
(Rajpati Jha)
Dy.COM/G

Copy to:-

1. Secy. to GM – for kind information to GM
2. Secy. to AGM – for kind information.
3. PCOM, PCSO, PCE, CELE, PCEE, PCME, CMPE, PCSTE
4. Sr.DOM - DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information and necessary action.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक (परिचालन)
हाजीपुर

संख्या पूर्व मध्य रेल /ऑपरेटिंग सेफ्टी/Fog Precautions/23/505

दिनांक : 27.10. 2020

मण्डल रेल प्रबंधक

धनबाद, दानापुर,डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर

विषय: कुहासा मौसम की तैयारी के संबंध में निर्देश ।

आनेवाले कुहासा मौसम के मद्देनजर, सभी मंडलों को कुहासा मौसम से पहले निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है:-

- पटाखा सिग्नल (Detonator):** पर्याप्त मात्रा में पटाखा सिग्नल (Detonator) की आपूर्ति की गई है,अवश्य सुनिश्चित करें ।
- लाईम मार्किंग(Lime Marking):** सुनिश्चित करें कि साइटिंग /वार्निंग बोर्ड (अथवा डबल डिस्टेंट सिग्नल के मामले में डिस्टेंट सिग्नल पर रेलपथ के आर-पार लाईम मार्किंग/चूना से निशान (Lime Marking)अवश्य की जाए।
- रंगगई (Painting):** सुनिश्चित करें कि बैरीयर इत्यादि की रंगगई की गई है अथवा पीली/काली चमकीली पट्टी लगाई गई है।
- सिग्मा (sigma) [Σ] बोर्ड:** सुनिश्चित करें कि स्टॉप सिग्नल की पहचान के लिए सिग्मा आकार की चमकदार (Retro-reflective) पट्टी लगाई गई है। [संदर्भ:- स.नि। 3.61(ख)(vi)]
- आवधिक चिकित्सा जांच (PME)/ पुनश्चर्या (Refresher) प्रशिक्षण:** सुनिश्चित करें कि 15 दिसम्बर से 31 जनवरी के बीच आवधिक चिकित्सा जांच (PME)/ पुनश्चर्या (Refresher)प्रशिक्षण के लिए ड्यू (Due) होने वाले लोको पायलटों /सहायक लोको पायलटों और गार्डों को 15 दिसम्बर से पहले उपरोक्त जांच एवं प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाए। [संदर्भ:- स.नि। 3.61(ग)(i)]
- क्रू (crew)को ट्रेनिंग:** कोहरे के दौरान गाड़ी परिचालन के बारे में प्रत्येक क्रू को 2 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाए। यह प्रक्रिया 1 दिसम्बर तक अवश्य पूरी कर ली जाए। [संदर्भ:- स.नि। 3.61(ग)(iv)]
- फॉग सिग्नलमैन का आश्वासन:** फॉग सिग्नलमैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों से स्टेशन मास्टर,स्वयं इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि वे कुहासा के मौसम में पटाखा (कुहासा सिग्नल) लगाने के नियमों से पूर्ण रूप से परिचित हैं और नियमों को समझते हैं, फॉग सिग्नल रजिस्टर के भाग-1 में उनका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेंगे ।
- फॉग सिग्नल रजिस्टर:** स्टेशन मास्टर इस बात की तसल्ली कर लेगा कि इस रजिस्टर में दी जाने वाली सूचनाएं हर प्रकार से ठीक और अद्यतन हैं।

यह प्रमाणित करने के लिए कि सेक्शन में उपर उल्लिखित निर्देशों का पालन किया गया है, सभी सेक्शनल TIs, LIs,SSE (सिग्नल),SSE (रेलपथ) एवं सेफ्टी काउन्सलरो को प्रतिनियुक्त कर अनुपालन (compliance) के संबंध में एक रिपोर्ट कृपया अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजें ताकि आगे की ओर इससे अवगत कराया जा सके।

उप. मुख्य परि. प्रबंधक/सामान्य

प्रतिलिपि:

- १ सचिव-महाप्रबंधक, महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
- २ सचिव-अपर महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
- ३ प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ४ प्र.मु.परि.प्र. , प्र.मु.इं., प्र.मु.वि.इं., प्र.मु.यां इं., प्र.मु.मोटिव.पा.इं.,
प्र.मु.सि.दू.इं.
- ५ वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक - धनबाद, दानापुर , डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।